

हुक्मनामा
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा राज0

प्रकरण संख्या : पत्थरगढी 88 / 2022

दिनांक : 23-5-22

श्री हीरालाल पिता छगनलाल जी जाति धाकड आयु 45 साल निवासी उंखलिया तह0
निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।

.....प्रार्थी

// बनाम //

1. शम्भुलाल पिता नन्दा जी जाति बंजारा आयु 45 साल निवासी बन्जारों का खेडा,
(सतखण्डा) तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।
2. गेन्दालाल पिता दुर्गा जी जाति बंजारा आयु 60 साल निवासी बन्जारों का खेडा,
(सतखण्डा) तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।

.....विपक्षीगण

कार्यवाही धारा 128 रा0ले0रे0 एक्ट

प्रेषिती :-

श्रीमान् तहसीलदार, तहसील निम्बाहेडा राज0

जो कि प्रार्थी ने न्यायालय हाजा में अपनी खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा सतखण्डा प0ह0 सतखण्डा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मांगरोल तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 की खाता संख्या नया 698 जिसके आ0 न0 2442/1981 रकबा 0.7500 हैक्टेयर लगानी 14.25 रूपये स्थित है, इस आशय की पत्थरगढी पेश की। साथ में नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस पेश की। पत्रावली का अवलोकन कर उस पर विश्वास करते हुए आपको जरिये हुक्मनामा आदेशित किया जाता है कि आप पक्षकारान को सूचित कर मौके पर पहुंच कर बिना किसी के कब्जे में दखलअन्दाजी किए आराजी की पत्थरगढी कर सीमा चिन्ह रोपे व फीस पत्थरगढी रूपया 500/- प्रार्थी से वसूल कर राजकोष में जमा करावें। पालना रिपोर्ट न्यायालय में दिनांक 22-6-22 को पेश करे।

यह हुक्मनामा आज दिनांक 23-5-22 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर न्यायालय से जारी किया गया।



उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा (चित्तौडगढ)